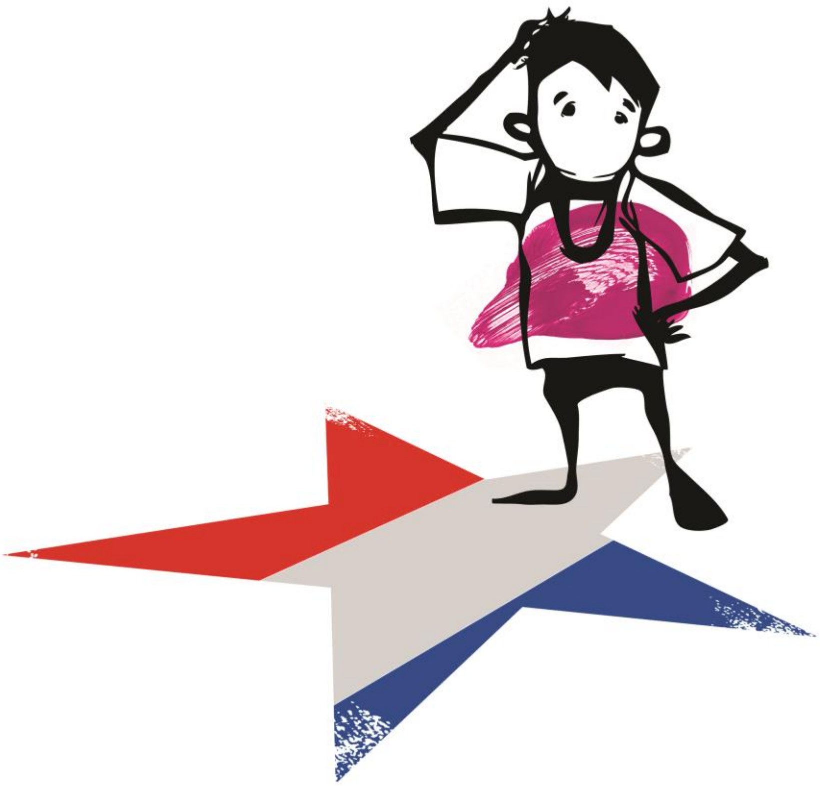

NATIONAL
IMMIGRANT
JUSTICE CENTER
A HEARTLAND ALLIANCE PROGRAM

आप्रवास और आप

अपने अधिकार जानिए

2013 बच्चों के लिए नियमावली

NATIONAL IMMIGRANT JUSTICE CENTER

नेशनल इमिग्रेशन जस्टिस सेंटर (राष्ट्रीय आप्रवासी न्याय केंद्र)

हार्टलैंड एलाएन्स कानेशनल इमिग्रेशन जस्टिस सेंटर (NIJC कानूनी सेवाओं, नीति सुधार, इंपैक्ट लिटिगेशन और सार्वजनिक शिक्षण के ज़रिए आप्रवासियों, शरणार्थियों और पनाह मांगने वाले व्यक्तियों के मानव अधिकारों को बढ़ावा देता है और उन्हें न्याय दिलाता है।

NATIONAL IMMIGRANT JUSTICE CENTER
A HEARTLAND ALLIANCE PROGRAM

National Immigrant Justice Center
208 South LaSalle Street, Suite 1818
Chicago, IL 60604
Phone: (312) 660-1370
Fax: (312) 660-1506
www.immigrantjustice.org

कृपया ध्यान दें: इस नियमावली का उद्देश्य केवल नाबालिगों को यू.एस. की इमिग्रेशन व्यवस्था के बारे में बताना है। यह आप्रवास के सभी तौर-तरीकों और प्रक्रियाओं की चर्चा नहीं करती। वर्तमान कानून और प्रक्रिया के बारे में किसी दिशा-निर्देश या अतिरिक्त प्रश्नों के लिए अन्य स्रोतों से पता किया जाना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए, कृपया NIJC या किसी इमिग्रेशन वकील से संपर्ककरें।

यह नियमावली पहले-पहल 2004 में प्रकाशित हुई। उसका यह अद्यतन संस्करण नेशनल इमिग्रेशन जस्टिस सेंटर के कर्मचारियों ने तैयार किया है।

विषयसूची

जिन शब्दों की जानकारी आपको होनी चाहिए...4

मैं इस सेंटर में क्यों हूं? 7

डिटेंशन सेंटर किस-किस तरह के होते हैं? 8

डिटेंशन सेंटर में मेरे क्या-क्या अधिकार हैं? 9

क्या मुझे डिटेंशन से मुक्त करके किसी परिवारजन के साथ रहने दिया जा सकता है?............10

जब मुझे डिटेंशन से अपने परिवार को या पालक को सौंप दिया जाएगा तब मेरे मामले का क्या होगा?...12

वकील कौन है और मेरा वकील मेरी मदद कैसे करेगा? 14

मैं युनाइटेड स्टेट्स में कानूनी रूप से कैसे रह सकता/सकती हूं? 16

अगर मेरे जज ने कहा कि मैं युनाइटेड स्टेट्स में नहीं रह सकता/सकती, तो क्या होगा? 18

याद रखने के लिए महत्वपूर्ण बातें 20

अपने इमिग्रेशन केस को दूसरी अदालत में कैसे ले जाएं..21

स्थान परिवर्तन फॉर्म का टेंप्लेट..22

किफायती और मुफ्त आप्रवास कानूनी सेवा प्रदाता 23

जिन शब्दों की जानकारी आपको होनी चाहिए

"A" संख्या:

“A.” आप्रवास अधिकारी आपको एक संख्या देंगे, जिसका वे तथा आप्रवास जज आपकी पहचान करने के लिए प्रयोग करेंगे। आप अपने आप्रवास दस्तावेजों में इस संख्या को देख सकते हैं। यह 9 अंकों वाली संख्या है और “A” अक्षर से शुरू होती है।

शरण:

शरण (एसाइलम) उन व्यक्तियों को दी जाने वाली सुरक्षा को कहते हैं, जो अपने मूल देश में नस्ल, किसी खास सामाजिक समूह की सदस्यता, राजनीतिक विचार, राष्ट्रीयता या धर्म के कारण असुरक्षित हैं। यदि आपको शरण दी जाती है, तो आप युनाइटेड स्टेट्स में कानूनी रूप से रह सकते हैं।

वकील:

वह व्यक्ति जो आपकी ओर से जज और सरकारी अधिकारियों के सामने खड़ा होगा। आपका वकील आपको बताएगा कि क्या आपको आप्रवास कानूनों के तहत कोई लाभ मिल सकते हैं तथा वह युनाइटेड स्टेट्स के कानूनों के बारे में और युनाइटेड स्टेट्स में आपके अधिकारों के बारे में बताएगा। आपका वकील आपके लिए काम करेगा और वह अदालत में और आप्रवास अधिकारियों के साथ की कार्रवाइयों में आपकी मदद करेगा। आप अपने वकील के साथ जो जानकारी साझा करते हैं वह गोपनीय है और वकील तब तक उसे दूसरों के साथ साझा नहीं कर सकता जब तक कि आप जानकारी साझा करने के लिए सहमत न हों।

बाल सुरक्षा प्रवक्ता (एडवोकेट):

वह व्यक्ति जिसे आपको यह समझाने में मदद करने के लिए नियुक्त किया जाता है कि आपके लिए “सबसे अच्छा” क्या है। प्रवक्ता आपका वकील नहीं है। प्रवक्ता को आप जो बातें बताएंगे, वे गोपनीय हो सकती हैं।

गोपनीय:

गोपनीय का मतलब है गुप्त या निजी। वकीलों को आप जो बातें बताएं, उनमें से अधिकांश को उन्हें गोपनीय रखना होगा। वे उसे दूसरों को तभी बता सकते हैं जब आप इसकी अनुमति दें।

होमलैंड सुरक्षा विभाग (DHS):

आप्रवास अधिकारी और आप्रवास अदालत के सरकारी वकील DHS के लिए काम करते हैं। DHS की कई शाखाएं हैं। जो शाखा आप्रवास अधिकारियों औरअदालत में सरकार का प्रतिनिधित्व करती है, वह है इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एन्फ़ोर्समेंट (आप्रवास और सीमाशुल्क प्रवर्तन) या ICE।

शरणार्थी पुनर्वास कार्यालय (ORR):

संघीय सरकार का एक भाग जो उस स्थिति में आपके लिए जिम्मेदार है जब आपको रोक लिया गया हो या आप संघीय सरकार की देखरेख (फेडरल फोस्टर केयर) में हों। यह विभाग तय करता है कि क्या आपको युनाइटेड स्टेट्स में आपके परिवारजनों के पास छोड़ा जा सकता है या नहीं। सरकार का यह भाग DHS/ICE और आप्रवास अदालत से अलग है।

निष्कासन (हटाना):

जब इमिग्रेशन जज आदेश देता है कि आप अपने देश वापस लौट जाएं। जज आपको निष्कासित करने का आदेश जारी करता है। जब आपका निष्कासन हो जाए, तो आपको आपके मूल देश में भेज दिया जाता है और बिना विशेष अनुमति के दस वर्ष तक युनाइटेड स्टेट्स में वापस नहीं आने दिया जाता है।

परिवार पुनर्मिलन पैकेट (FRP):

वे दस्तावेज़ जो युनाइटेड स्टेट्स में रह रहे आपके रिश्तेदारों को तब भेजा जाता है जब वे चाहते हैं कि जज द्वारा आपके मामले पर निर्णय लेने तक आप उनके साथ रहें। आपके रिश्तेदारों को साबित करना होगा कि जब आप युनाइटेड स्टेट्स में हों, तो वे आपकी भली-भांति देखभाल कर पाने की स्थिति में हैं।

पालक परिवार:

पालक परिवार (फोस्टर फैमिली) वह परिवार है जिसे यू.एस. सरकार ने उन आप्रवासी बच्चों की देखभाल के लिए अनुमोदित किया है, जिनके युनाइटेड स्टेट्स में कोई रिश्तेदार नहीं हैं। सरकार तय करती है कि बच्चों को पालक परिवारों को सौंपा जा सकता है या नहीं। जब आप अपने पालक परिवार के साथ रह रहे हों, आपके आप्रवास मामले पर कार्रवाई जारी रहेगी। अपने पालक परिवार के साथ स्थायी रूप से रहना आपके लिए संभव नहीं होगा।

इमिग्रेशन कोर्ट (आप्रवास अदालत):

इमिग्रेशन मामलों के फैसले इमिग्रेशन अदालत में किए जाते हैं। युनाइटेड स्टेट्स के बहुत से शहरों में इमिग्रेशन अदालतें हैं। इमिग्रेशन अदालत DHS/ICE का अंगनहीं है।

इमिग्रेशन जज (आप्रवास जज):

यह वह व्यक्ति है जो आपके आप्रवास मामले पर निर्णय करेगा। जज सुनता है कि आप और आपके वकील क्या कहते और प्रस्तुत करते हैं और यह भी कि आपको और यह भी सुनता है कि DHS/ICE के वकील का इस संबंध में क्या कहना है कि आप युनाइटेड स्टेट्स में क्यों रह सकते हैं या नहीं रह सकते।

वैध स्थायी निवासी:

वैध स्थायी निवासी दूसरे किसी देश का कोई व्यक्ति है जिसे युनाइटेड स्टेट्स में स्थायी रूप से रहने की अनुमति है पर वह युनाइटेड स्टेट्स का नागरिक नहीं है। यह अनुमति देने वाले दस्तावेज़ को अक्सर “ग्रीन कार्ड” कहा जाता है।

नाबालिग:
ऐसा कोई व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम उम्र का हो।

हाज़िर होने की नोटिस:
हाज़िर होने की नोटिस यू.एस. सरकार का एक पत्र है जो यह बताता है कि सरकार आपको निष्कासित क्यों करना चाहती है।

स्पेशल इमिग्रेंट जुवेनाइल स्टेटस (विशिष्ट आप्रवासी अवयस्क दर्जा - SIJS):
SIJS उन बच्चों को मिला हुआ एक प्रकार का आप्रवासी रक्षण है जिनके साथ उनके माता-पिता या अभिभावकों ने दुर्व्यवहार किया है, या जिन्हें उनके माता-पिता या अभिभावकों ने छोड़ दिया है या वे उनका ठीक से देखभाल नहीं कर रहे हैं। जिन बच्चों के माता-पिता मर चुके हैं, वे भी इस रक्षण के अधिकारी बन सकते हैं।

उपयुक्तता आकलन:
जब रिश्तेदार नाबालिगों को हिरासत में लेने वाली सरकारी एजेंसी, ORR से उनकी देखभाल में रह रहे किसी नाबालिग को छोड़ देने की मांग करते हैं हों, तो ORR कभी-कभी किसी व्यक्ति को उनके घर भेजकर सुनिश्चित करता है कि वह घर सुरक्षित है तथा रिश्तेदार एकनाबालिग की ठीक तरह से देखभाल करने की स्थिति में हैं।

यू वीज़ा:
एक तरह का आप्रवासी रक्षण जो ऐसे किसी व्यक्ति को युनाइटेड स्टेट्स में वैध रूप से रहने की अनुमति देता है, जो किसी अपराध का शिकार बना है। इसके लिए योग्य बनने के लिए अपराध का शिकार बने व्यक्ति को अपराध की सूचना देनी होगी और उस अपराध की छानबीन या कानूनी कार्रवाई में सहयोग करना होगा।

टी वीज़ा:
मनुष्यों की तस्करी का शिकार बने किसी व्यक्ति के लिए एक प्रकार का आप्रवासी रक्षण। मनुष्यों की तस्करी का शिकार व्यक्ति ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे जबर्दस्ती युनाइटेड स्टेट्स लाया गया हो और युनाइटेड स्टेट्स में रहते समय उससे उसकी इच्छा के विरुद्ध काम अथवा अन्य कृत्य कराया गया हो।

अदस्तावेजकृत:
बिना दस्तावेज़ के व्यक्ति वह है जो युनाइटेड स्टेट्स सरकार की अनुमति के बिना युनाइटेड स्टेट्स में है।

स्वैच्छिक प्रस्थान:
जज आपके निष्कासन का आदेश जारी न करके आपको स्वेच्छा से युनाइटेड स्टेट्स छोड़ने की अनुमति दे सकता है। यदि आप स्वेच्छा से जाएं, तो आप भविष्य में, जब आप वीज़ा के लिए योग्य पाए जाएं, वैध रूप से युनाइटेड स्टेट्स में लौट आ सकते हैं।

काम करने का अधिकार मिलना:
कभी-कभी जब आप्रवासी युनाइटेड स्टेट्स में हों, आप्रवासी अधिकारी उन्हें काम करने की अनुमति देते हैं। इस अनुमति को "काम करने का अधिकार" कहा जाता है। जब यू.एस. सरकार किसी आप्रवासी को काम करने की अनुमति देती है, सरकार उस व्यक्ति को एक कार्ड देगी, जिसे एंप्लॉयमेंट ऑथोराइज़ेशन डॉक्युमेंट (काम करने का अधिकार देनेवाला दस्तावेज़ - EAD) कहा जाता है।

मैं इस सेंटर में क्यों हूं?

आप इस समय जिस जगह रह रहे/रही हैं, वह 18 साल से कम उम्र के व्यक्तियों के लिए आप्रवासी कारावास है। आप यहां इसलिए हैं क्योंकि यू.एस. सरकार मानती है कि आपको युनाइटेड स्टेट्स में होने की अनुमति नहीं है। यहां रहने के लिए, आप्रवास जज या आप्रवास अधिकारी को तय करना होगा कि आपके यहां रहने के लिए कोई कानूनी कारण है।

आपका वकील आपको इस जज या अधिकारी से बात करने में मदद करेगा। आपके मामले का फ़ैसला होने में कई महीने का समय लग सकता है।

क्या मैं युनाइटेड स्टेट्स में रह सकता हूं?

केवल आप्रवास जज या आप्रवास अधिकारी यह तय कर सकता है कि आप वैध रूप से युनाइटेड स्टेट्स में रह सकते हैं, या आपको अपने मूल देश में लौट जाना होगा। आप्रवास की प्रक्रिया में महीनों लगते हैं, इसलिए आपको सब्र से काम लेना होगा। यदि आपको पहले ही पता हो कि आप क्या करना चाहते हैं, तो भी आपको कई महीनों तक रोके रखा जा सकता है। ठीक कितने समय तक, यह अनेक कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें यह भी शामिल है कि सरकार कितनी जल्दी आपके दस्तावेजों पर कार्रवाई करती है, और यह भी कि आपका मामला किस तरह का है।

डिटेंशन सेंटर किस-किस तरह के होते हैं?

- **शेल्टर सेंटर:**

इन डिटेंशन सेंटरों में सुरक्षा का स्तर कम होता है, और आजादी का स्तर सबसे अधिक होता है। शेल्टर सेंटर में रह रहे नाबालिग व्यायामशाला में नियमित रूप से जा सकते हैं और उन्हें टीवी देखने, वीडियो गेम खेलने और किताबें पढ़ने की आजादी होती है। सामान्यतः एनआईजीसी हर सप्ताह शिकागो क्षेत्र के आसपास के शेल्टरों का दौरा करता है, और वह बुधवार को शाम 2-4 बजे फोन पर भी उपलब्ध रहता है।

- **स्टाफ-सेक्योर सेंटर:**

इन डिटेंशन सेंटरों में सुरक्षा का स्तर शेल्टर सेंटरों से अधिक ऊंचा होता है। स्टाफ-सेक्योर सेंटरों में रह रहे नाबालिगों को व्यायामशाला में जाने या वीडियो गेम खेलने के लिए विशेषाधिकार अर्जित करने होते हैं। यद्यपि स्टाफ-सेक्योर सेंटरों के नाबालिगों में से कुछ को छोटे-मोटे अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया होता है, सामान्यतः उनमें व्यवहार संबंधी समस्याएं होती हैं न कि आपराधिक मामले।
सामान्यतः NIJC सप्ताह में एक बार स्टाफ-सेक्योर सेंटरों का दौरा करता है और वह फोन पर भी उपलब्ध रहता है।

- **उपचारात्मक सेंटर:**

यह सेंटर उन नाबालिगों के लिए उपलब्ध है जिनकी विशिष्ट चिकित्सकीय या मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं होती हैं। NIJC आम तौर परउपचारात्मक सेंटरों का दौरा करता है और वह फोन पर भी उपलब्ध रहता है।

- **सेक्योर सेंटर:**

इन डिटेंशन सेंटरों में बहुत उच्च स्तर की सुरक्षा होती है, और आजादी का स्तर अपेक्षकृत कम होता है।
सेक्योर सेंटर के लगभग सभी दरवाजों पर ताला लगा होता है। सेक्योर सेंटरों के लगभग सभी नाबालिग अवयस्क न्याय प्रणाली या आपराधिक प्रणाली के किसी मामले से जुड़े होते हैं। इस समय शिकागो क्षेत्र में कोई सिक्योर सेंटर नहीं है।

क्या मैं किसी अन्य सेंटर में स्थानांतरित हो सकता हूं?

कभी-कभी, डिटेंशन सेंटरों के कर्मचारी ORR के साथ काम करते हुए किसी नाबालिग को एक सेंटर से दूसरे सेंटर में स्थानांतरित करते हैं। सामान्यतः यह नाबालिग के व्यवहार के कारण किया जाता है। अच्छा व्यवहार करने पर आपको कम सख्त (और अधिक आजादी देनेवाले) डिटेंशन सेंटर में भेजा जा सकता है। इसके विपरीत, बुरा व्यवहार करने पर आपको अधिक सख्त (और कम आज़ादी देनेवाले) डिटेंशन सेंटर में भेजा जा सकता है।

डिटेंशन सेंटर में मेरे क्या-क्या अधिकार हैं?

हालांकि आपको हिरासत में लिया गया है, लेकिन फिर भी आपकेकई अधिकारहैं:

मूलभूत देखरेख के मेरे क्या अधिकार हैं?

- आपको उचित आवास का अधिकार है (भोजन, बिस्तर, स्वच्छ वस्त्र, साबुन, दंत मंजन आदि वस्तुएं पाने का अधिकार)।
- चिकित्सकीय देखरेख की आवश्यकता पड़ने पर आपको चिकित्सक से मिलने का अधिकार है। **यदि आपको लगे कि आप बीमार हैं, तो तुरंत आपके मामले से जुड़े कर्मी को बता दें।**
- आपको अत्यंत जरूरी दंत चिकित्सा का अधिकार है।
- आपको 10-10 मिनट के दो फोन कॉल हर सप्ताह करने का अधिकार है। आप युनाइटेड स्टेट्स में अथवा विदेशों में रह रहे अपने परिवार जनों से इन फोन कॉलों में बात कर सकते हैं।
- आपको मनोरंजन और शारीरिक गतिविधि का अधिकार है जिसमें मौसम ठीक होने पर बाहर समय बिताना शामिल है।
- आपको जब भी संभव हो,अपनी पसंद की धार्मिक प्रार्थना सेवाओं तक पहुंच का अधिकार है।

क्या मैं अपने वकील या चिकित्सक को फोन कर सकता/सकती हूं?

- आपको अपने वकील या चिकित्सक को फोन करने और उससे अकेले में बात करने का अधिकार है। अगर आप अपने वकील या चिकित्सक से बात करना चाहते/चाहती हैं तो अपने केसवर्कर से कहें।

सेंटर में रहते समय यदि मेरी उम्र 18 वर्ष की हो जाए तब क्या होता है?

- जब आप 18 वर्ष के हो जाएं, तो DHS/ICE के अधिकारी आपको बाल डिटेंशन केंद्र से हटाकर वयस्कों के डिटेंशन केंद्र में स्थानांतरित करने का फैसला कर सकते हैं। इस बात का निर्धारण करने के लिए कि आप अपने 18वें जन्मदिन से पहले सेंटर छोड़ सकते हैं कि नहीं आपको अपने केसवर्कर के साथ इसपर काम करना जरूरी है।

क्या मुझे डिटेंशन से मुक्त करके किसी परिवारजन के साथ रहने दिया जा सकता है?

कई नाबालिगों को डिटेंशन केंद्र से मुक्त करके उनके परिवारों के साथ रहने दिया जा सकता है। जब आप डिटेंशन केंद्र में हों, तो ऑफिस ऑफ रेफ्यूजी रीसेटेलमेंट (ORR) आपकी देखरेख के लिए जिम्मेदार है। ORR को तय करना होगा कि आपको अपने परिवार के पास छोड़ना आपके लिए सुरक्षित होगा या नहीं। उनके लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि जिस व्यक्ति के साथ रहने के लिए आपको छोड़ा जा रहा है, वह जिम्मेदार व्यक्ति है और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तथा अपने परिवार-जन के साथ रहते हुए आपको कोई खतरा नहीं रहेगा। यदि युनाइटेड स्टेट्स में आपका कोई परिवार नहीं है, तो आप अपने परिवार के किसी मित्र के साथ रह सकते हैं।

मेरे परिवार का सदस्य बिना दस्तावेज़ के है। क्या फिर भी मुझे छोड़ा जा सकता है?

आपको ऐसे किसी परिवार सदस्य के साथ रहने के लिए छोड़ा जा सकता है, जिसे युनाइटेड स्टेट्स में रहने के लिए कानूनी अनुमति नहीं है (या वह बिना दस्तावेज़ के है)। लेकिन, चूंकि आपके परिवार के सदस्य को एफबीआई से अपनी उंगलियों की छाप की जांच करवानी होती है, इसलिए आपके परिवार केसदस्य के लिए कुछ जोखिम हैं: 1 यदि आपके परिवार सदस्य को कभी निष्कासित किया गया हो या सरकार के साथ उसे कोई समस्या हुई हो, और/या 2 यदि आपके परिवार सदस्य के विरुद्ध गिरफ्तारी का कोई वारंट हों, या उसने कोई गंभीर अपराध किया हो। जब कोई बिना दस्तावेज़ का व्यक्ति जैसे आपके परिवार के सदस्य आपको ले जाने के लिए डिटेंशन केंद्र आता है तो उसके लिए यात्रा करना जोखिम भरा होता है।

यदि आपके कोई प्रश्न हों, तो अपने केसवर्कर से बात कीजिए।

यदि मेरा कोई परिवार न हो, तब क्या होगा? क्या फिर भी मुझे डिटेंशन से छोड़ा जा सकता है?

आपको छोड़ा जा सकता है, पर यह इस पर निर्भर करेगा कि आपको कहां गिरफ्तार किया गया था, क्या आप वीज़ा के लिए योग्य हैं या नहीं, और आपकी उम्र क्या है। कुछ नाबालिग जो कानूनी उपचार पाने के योग्य हैं, वे डिटेंशन केंद्र से निकलकर किसी पालक की देखरेख में रखे जा सकते हैं। पालक देखरेख उस व्यवस्था को कहते हैं जिसमें आपको ऐसे किसी परिवार के साथ रहने दिया जाता है, जिसे सरकार ने अनुमोदित किया है। आप अपने पालक परिवार के साथ रहते हुए अपने आप्रवास मामले को पूरा कर सकते हैं। युनाइटेड स्टेट्स के अनेक शहरों में पालक परिवार हैं। एनआईजेसी की लीगल टीम अनुरोध कर सकती है कि आपको युनाइटेड स्टेट्स के किसी खास भाग में स्थित पालक परिवार के साथ रखा जाए, पर आपको कहां रखा जाए इस बारे में अंतिम निर्णय ORR का होगा। यदि आपको पालक परिवार के हवाले किया जाता है, तो एनआईजेसी आपको ऐसे किसी नए वकील के साथ जोड़ने की पूरी कोशिश करेगा जो आपके नए घर के निकट रहता हो।

मुझे छोड़े जाने में कितना समय लग सकता है?

कई कारक इस बात को प्रभावित करते हैं कि आपको कितनी जल्दी छोड़ा जा सकता है:

- सामान्यतः, आपका डिटेंशन केंद्र जितना कम सख्त हो, उतनी जल्दी आप छूट सकते हैं।

- प्रत्येक मामला अलग है। कुछ अल्पवयस्क कुछ हफ्तों में ही छूट जाते है और अन्य लोगों के लिए, कभी-कभी, प्रक्रिया ज्यादा समय लेती है।

- कई नाबालिगों के परिवारों को उपयुक्तता मूल्यांकन से गुजरना होता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि आपके लिए उनके घर में और उस परिवार में रहना सुरक्षित है। यह प्रक्रिया आपकी रिहाई में देरी कर सकती है।

- यदि आप पर अवयस्क न्याय-निर्णय (एडजुडिकेशन) या अपराध के लिए दोष सिद्धि (कनविक्शन), या लंबित आरोप, या चालू वारंट हो, तो आपके छूटने में विलंब हो सकता है।

- डिटेंशन केंद्र से आप कब छूटते हैं, इस पर एनआईजेसी की लीगल टीम का कोई नियंत्रण नहीं है।

- आपके छूटने से संबंधित प्रश्न आपको डिटेंशन केंद्र में आपकोकेसवर्करसे पूछना चाहिए।

जब मुझे डिटेंशन से अपने परिवार को या पालक को सौंप दिया जाएगा तब मेरे मामले का क्या होगा?

डिटेंशन से छूटने का यह मतलब नहीं है कि आपके आप्रवास का मामला निपट गया है!

सेंटर से छोड़े जाने का यह मतलब है कि आप अपने परिवार के साथ रह सकते हैं जबकि आपका मामला लंबित है। इसका यह मतलब नहीं है कि आपको यू.एस. में स्थायी रूप से रहने का कानूनी अधिकार है। आप्रवास जज को या आप्रवास अधिकारी को आपके मामले पर विचार करके तय करना होगा कि आप युनाइटेड स्टेट्स में रह सकते/सकती हैं या नहीं।

आपके छोड़े जाने के बाद, आप अनुरोध कर सकते हैं कि आपके मामले को आपके नए घर के निकटतम आप्रवास अदालत को स्थानांतरित किया जाए। यदि आपका अनुरोध मंजूर हो जाता है,तो आपकी नई आप्रवास अदालत आपके नए पते पर एक पत्र भेजेगी जिसमें आपकी नई अदालत की जगह और हाजिर होने की तारीख की जानकारी होगी।

क्या मुझे वकील की जरूरत होगी, और मुझे वह कहां मिल सकता है?

छोड़े जाने पर आपको हमेशा आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई वकील प्राप्त करना चाहिए इस नियमावली के अंत में भी मुफ्त या कम शुल्क
लेनेवाले वकीलों की सूची है। वकील होने पर अदालती कार्रवाइयां आपके लिए अधिक आसान रहेंगी और आपको उन्हें समझने में कम कठिनाई होगी। यदि आप युनाइटेड स्टेट्स में कानूनी तौर पर रहने की अनुमति प्राप्त करने के लिए योग्य पाए जाएं, तो जज को आपके मामले को ठीक तरह से समझाने के लिए वकील की जरूरत पड़ेगी।

यह अनिवार्य नहीं है कि आप वकील रखें। यदि आपको वकील न मिले, तो आप अदालत जाकर जज से कह सकते हैं कि वकील ढूंढ़ने के लिए आपको और अधिक समय दिया जाए। अधिकांश जज आपको वकील ढूंढ़ने के लिए अधिक समय दे देंगे। वकील न होने पर भी आपको अदालती सुनवाइयों में उपस्थित रहना होगा वरना जज आपको निष्कासित करने का आदेश दे देंगे।

आपको आप्रवास वकील से मशविरे के लिए अदालत की तारीख का इंतजार करना नहीं पड़ेगा। आपके केस के विकल्पों पर विचार करने के लिए हम आपको जल्दी से जल्दी एक वकील का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

इन बातों को याद रखें:

- आपको हर स्थिति में अदालती सुनवाइयों में जाना है: यदि आप अदालत न जाएं, तो जज आपको निष्कासित कर देगा। यह जानने के लिए कि आपको अदालत कब जाना है, आप 1-800-898-7180 पर फोन करके अपनी 'A' संख्या दर्ज करें। यह संख्या आपको अपने आप्रवास दस्तावेज़ों में मिल जाएगी, अथवा छोड़े जाने के बाद NIJC द्वारा भेजे गए पत्र में।

- सरकार को हमेशा बताएं कि आप कहां रह रहे हैं: यदि आप घर बदलें, तो आप्रवास जज और आप्रवास अधिकारियों को अपना नया पता बताएं ताकि वे अगली अदालती सुनावाई की सूचना आपको नए पते पर भेज सकें। इसके लिए आपको प्रपत्र EOIR-33 भरके जमा करना होगा। इस प्रपत्र को आप www.usdoj.gov/eoir से, आप्रवास अदालत से और DHS/ICE से प्राप्त कर सकते हैं।

- डिटेंशन केंद्र से छोड़ दिए जाने से आपको काम करने का अधिकार नहीं प्राप्त होता है: छोड़ दिए जाने के बाद अगर आप काम करना चाहते हों, तो आपको अपने वकील की सलाह लेनी चाहिए।

- आपको स्कूल जाने का अधिकार है: आपको स्कूल जाना चाहिए। अगर आपको स्कूल में नाम लिखाने में कोई समस्या आ रही हो, तो अपने वकील से कहें।

- जब आप अपने परिवार के सदस्य के साथ हों, तो आपको सुरक्षित और स्वस्थ रहने का अधिकार है: यदि आपके परिवार का सदस्य आपको चोट पहुंचा रहा हो अथवा आपसे ऐसा कोई काम करवा रहा हो जो आप नहीं करना चाहते, तो आपको तुरंत ही पुलिस को बुला लेना चाहिए और अपने वकील को बता देना चाहिए। किसी आपातस्थिति में आपको 911 डायल करके पुलिस को बुलाना चाहिए।

- आपको मुसीबत से दूर रहना चाहिए: हमेशा याद रखें कि आप्रवास जज ने आपके मामले में निर्णय अभी नहीं लिया है। यदि आप स्कूल में अथवा पुलिस के साथ मुश्किल में पड़ेंगे, तो उससे आप युनाइटेड स्टेट्स में रह सकते हैं या नहीं, इस संबंध में जज का निर्णय प्रभावित हो सकता है।

वकील कौन है और मेरा वकील मेरी मदद कैसे करेगा?

"वकील" यानी लॉयर। आपके वकील का काम है आपके इमिग्रेशन केस के बारे में आपको सलाह देना, और अगर आप योग्य पाये जाते हैं, तो आपको आप्रवास राहत के लिए आवेदन करने में मदद करना जिससे आपको युनाइटेड स्टेट्स में रहने की अनुमति मिल सकती है। आपका वकील आपके लिए काम करता/करती है। वह सरकार के लिए नहीं काम करता/करती है। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने लिए ऐसा वकील चुनें जिसने आप्रवास कानून में प्रशिक्षण पाया है।

जब आप पहली बार अपने वकील से मिलेंगे, तो वह आपसे इस बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। आपका वकील आपसे निजी और कठोर प्रश्न पूछ सकता है। यदि आपने इसकी स्पष्ट अनुमति न दी हो, वह आपकी बताई हुई बातों को दूसरों के साथ साझा नहीं कर सकता। यह बहुत आवश्यक है कि आप अपने वकील को आपसे संबंधित सभी पिछली बातें बता दें, जैसे आप इस देश में कैसे आए और क्यों। यदि आप अपने वकील को सच्ची बात नहीं बताएं, तो वह आपकी मदद नहीं कर पाएगा। आपके वकील को आपके बारे में जितना अधिक जानकारी होगी, उतना ही अधिक वह आपकी मदद कर सकेगा।

अपने वकील से मिल लेने के बाद, उसे आपके विकल्पों को समझना चाहिए, और आपको उस निर्णय तक पहुंचने में मदद करनी चाहिए जो आपके लिए सबसे अच्छा है। आपके वकील को आपको इमिग्रेशन कानूनों के बारे में सलाह देनी चाहिए। आपके वकील के लिए हर बार यह संभव नहीं होगा कि आप जो चाहते हैं, उसे कर दे। अगर आप अपने वकील से खुश नहीं हैं तो आपको हमेशा दूसरा वकील प्राप्त करने का अधिकार है। लेकिन, यदि आप वकील को बदलें, तो यह बहुत जरूरी है कि आप पुराने वकील को बता दें कि अब आप नहीं चाहते कि वह आपकी मदद करे।

मैं अपने वकील से क्या आशाएं रख सकता/सकती हूं?

आपके वकील को:

- आपकी बात ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए
- आपके साथ मित्रवत और सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए
- यदि वह आपको जो भाषा सबसे अधिक आती हो, उसे न बोल सकता हो, तो दुभाषिए का उपयोग करना चाहिए
- अदालत जाने के पहले, अदालत में और उसके बाद आपको सभी विकल्प समझा देने चाहिए
- आपको समझाना चाहिए कि जज आपसे क्या-क्या प्रश्न पूछेंगे
- आपको आपके मामले की प्रगति के बारे में अवगत रखना चाहिए
- आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए
- जब आप उसे फोन करे, तो तुरंत जवाब देना चाहिए
- आप्रवास अधिकारियों से और आप्रवास अदालत से आपके मामले की प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहना चाहिए
- आपसे नियमित रूप से मिलते रहना चाहिए
- दस्तावेज़ों में आपसे हस्ताक्षर लेने से पहले आपको समझाना चाहिए कि उनमें क्या लिखा है
- आप किसी भी चीज पर हस्ताक्षर करने से पहले आपको समझाना चाहिए कि आपसे वह कितने पैसे लेगा, तथा आप उसे किस तरह चुका सकते हैं
- यदि आप वकील का खर्च नहीं उठा सकते, तो उसे आपके मामले को कानूनी सहायता देने वाली एजेंसियों अथवा प्रो बोनो वकीलों के पास भेजना चाहिए

मैं युनाइटेड स्टेट्स में कानूनी रूप से कैसे रह सकता/सकती हूं?

आप युनाइटेड स्टेट्स में कानूनी रूप से तभी रह सकते हैं जब आप्रवास जज या आप्रवास अधिकारी आपको इसकी अनुमति दे। आप्रवास जज या आप्रवास अधिकारी यह देखने के लिए आपके मामले का अध्ययन करेंगे कि क्या आपको कानून के तहत कोई संरक्षण प्राप्त हो सकता है।

युनाइटेड स्टेट्स के आप्रवास कानून बहुत जटिल हैं, इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप किसी आप्रवास वकील से बात करके पता लगा लें कि क्या आप्रवास जज या आप्रवास अधिकारी से आपको युनाइटेड स्टेट्स में वैध रूप से रहने की अनुमति देने के लिए कहना उचित होगा या नहीं। केवल आप्रवास जज या आप्रवास अधिकारी ही यह तय कर सकता है कि आप युनाइटेड स्टेट्स में रह सकते हैं या नहीं। वकील आप्रवास जज या आप्रवास अधिकारी को यह समझाने में आपकी मदद कर सकेगा कि उन्हें आपको क्यों युनाइटेड स्टेट्स में रहने देना चाहिए, और जज याअधिकारी के सामने आपके लिए इसे स्पष्ट करने में मदद कर सकता है कि आप्रवास कानून आपको युनाइटेड स्टेट्स में वैध रूप से रहने की अनुमति देते हैं।

जब आप वकील से बात करें, तो यह देखने के लिए कि आप युनाइटेड स्टेट्स में वैध रूप से रह सकते हैं या नहीं, उसे निम्न प्रकार की जानकारी चाहिए होगी:

यदि आपको अपने देश लौटने को लेकर डर है

यदि आप लौटने से डरते हैं क्योंकि आपको लगता है कि वहां कोई आपको चोट पहुंचा सकता है, तो आपको अपने वकील को यह बात बतानी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में आप जज से कह सकते हैं कि वह आपको यहां रहने की इजाजत दे। इस तरह की विशेष अनुमति को "शरण (एसाइलम)" कहा जाता है। शरण तब प्राप्त की जा सकती है अगर आपके देश के लोगों ने आपको निम्नलिखित कारणों से नुकसान पहुंचाया हो या नुकसान पहुंचाने की धमकी दी हो:

आप या आपके परिवार की राजनीतिक गतिविधियां, कार्य या विश्वास; आपका धर्म; आपकी नस्ल या आपकी भाषा;या इसलिए कि आप अपने समुदाय में किसी खास समूह के सदस्य हैं; आपकी लैंगिक अभिरुचि; क्योंकि आप लड़की हैं; सैनिक बनने या किसी गिरोह में शामिल होने से इंकार करना।

यदि आपके माता-पिता ने आपको चोट पहुंचाई हो, या उन्होंने आपको छोड़ दिया हो, या आपके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी हो

यदि आपके माता-पिता ने आपको चोट पहुंचाई हो, या आपको पता न हो कि वे कहां हैं, या उनकी मृत्यु हो चुकी हो, तो आप युनाइटेड स्टेट्स में रहने के लिए विशेष अनुमति की मांग कर सकते हैं। इस अनुमति को "विशिष्ट आप्रवासी अवयस्क दर्जा" या "SIJS" कहते हैं। SIJS के लिए आवेदन करने के लिए आपकी उम्र 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।

यदि आपके माता अथवा पिता ने आपको मारा हो, या आपको कई घंटे काम करने के लिए मजबूर किया हो या आपको खाना देने से मना किया हो, तो आपको अपने वकील को बताना चाहिए। यदि आपके माता-पिता में से एक या दोनों यहां के नागरिक हैं या वैध बाशिंदे हैं तो आप महिलाओं के विरुद्ध हिंसा विरोधी कानून (VAWA) के तहत युनाइटेड स्टेट्स में रहने की विशेष अनुमति मांग सकती हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आपके वकील और जज को यह मालूम हो कि आप घर पर सुरक्षित नहीं रहेंगी।

यदि आपको जबर्दस्ती या धोखे से युनाइटेड स्टेट्स लाया गया हो या युनाइटेड स्टेट्स आने पर आपसे जबर्दस्ती काम लिया गया हो

यदि आपको यहां जबर्दस्ती लाया गया हो, या धोखे से युनाइटेड स्टेट्स लाकर युनाइटेड स्टेट्स पहुंचने पर आपसे ऐसा कोई काम कराया गया हो जो आपको पसंद न हो, जैसे थोड़े पैसे के लिए या बिना पैसे के बहुत लंबे समय तक काम कराया गया हो, तो आप युनाइटेड स्टेट्स में वैध रूप से रहने की अनुमति मांग सकते हैं। इस तरह की विशेष अनुमति का कानूनी नाम "टी-वीज़ा" है।

यदि आप युनाइटेड स्टेट्स में किसी अपराध के शिकार बने हों और आपने पुलिस के साथ सहयोग किया हो

यदि आपको या आपके निकट के किसी व्यक्ति को चोट पहुंची हो और किसी ने उसकी वजह से पुलिस को बुलाया हो, और आपने किसी तरह से पुलिस की मदद की हो (जैसे उनके प्रश्नों का उत्तर देना) तो आप युनाइटेड स्टेट्स में रहने की अनुमति मांग सकते हैं। इस तरह की विशेष अनुमति का कानूनी नाम "यू-वीज़ा" है।

यदि आप युनाइटेड स्टेट्स में बहुत समय रह चुके हों और आपके परिवार जनों को यहां कानूनी दर्जा प्राप्त हो

और, यदि आपकी माता या पिता युनाइटेड स्टेट्स में वैध रूप से रह रहे हों, तो उनमें से कोई सरकार से मांग कर सकता है कि आपको यहां उनके साथ स्थायी रूप से रहने दिया जाए। यह तुरंत नहीं हो जाएगा। आपको कुछ समय के लिए अपने मूल देश लौट जाना होगा और वहां तब तक रहना पड़ सकता है जब तक सरकार आपको युनाइटेड स्टेट्स लौटने की अनुमति न दे। यदि आपका कोई वयस्क भाई या बहन युनाइटेड स्टेट्स में वैध रूप से रह रहा हो, तो वह भी आपकी मदद कर सकता/सकती है।

यदि आप घर जाने से डरते हों या नहीं जा सकते हों, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने वकील को सच्ची बात बता दें ताकि वह युनाइटेड स्टेट्स में रहने में आपकी मदद की कोशिश कर सके। कभी-कभी कुछ चीजों के बारे में बात करना आपके लिए तकलीफदेह हो सकता है, लेकिन यह बहुत जरूरी है कि आपका वकील और आप्रवास जज को मालूम हो कि आपके लिए घर जाना सुरक्षित नहीं है।

अगर मेरे जज ने कहा कि मैं युनाइटेड स्टेट्स में नहीं रह सकता/सकती, तो क्या होगा?

कानून कहता है कि यदि जज निर्णय लेता है कि यहां रहने के लिए आपके पास कोई वैध कारण नहीं है, तो आपको युनाइटेड स्टेट्स छोड़ना होगा। युनाइटेड स्टेट्स छोड़ने के दो तरीके हैं। जज तय करेगा कि आपको किस तरह जाना है। एक तरीका है स्वेच्छा से जाना। इसका मतलब है जज आपको युनाइटेड स्टेट्स छोड़ने के लिए कोई अंतिम दिन बता देंगे। यदि आप स्वेच्छा से जाएं, तो भविष्य में आप युनाइटेड स्टेट्स में वैध रूप से वापस आने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

यदि आपको हिरासत में नहीं लिया गया हो पर आप्रवास जज आपको स्वैच्छिक रूप से जाने की अनुमति दे, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप जज द्वारा दिये गये समय में युनाइटेड स्टेट्स छोड़ दें। यदि आप न जाएं और सरकार आपको पकड़ ले, तो आपको स्वतः ही निष्कासित किया जाएगा और आप अगले 10 वर्षों तक वैध रूप से लौटने की अनुमति नहीं मांग सकेंगे। यदि आप पकड़े न भी जाएं, तो भी आपके लिए भविष्य में युनाइटेड स्टेट्स में कानूनी दर्जा प्राप्त करना कठिन हो जाएगा।

युनाइटेड स्टेट्स छोड़ने का दूसरा तरीका है हटाने के आदेश के तहत जाना या निष्कासन। इसका मतलब है कि युनाइटेड स्टेट्स की सरकार आपको अपने मूल देश में भेजने की व्यवस्था करेगी। यदि आपको निष्कासित किया जाए, तो आप अगले 10 वर्षों के लिए युनाइटेड स्टेट्स लौटकर नहीं आ सकेंगे। बहुत कम मामलों में, आप इस नियम के विशिष्ट अपवाद के लिए अनुरोध कर सकते हैं, जिसे "छूट (वेवर)" कहा जाता है।

यदि युनाइटेड स्टेट्स छोड़ने के बाद आप वापिस बिना अनुमति के (अवैध रूप से) युनाइटेड स्टेट्स लौट आएं, तो आपको जेल भेजा जा सकता है और/या आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। आपको दुबारा निष्कासित भी किया जाएगा।

मुझे घर भेजे जाने में कितना समय लग सकता है?

जज द्वारा यह कह दिए जाने पर भी कि आप युनाइटेड स्टेट्स में नहीं रह सकते, आपके अपने घर लौट जाने में कुछ देर होगी।

यदि आपको गिरफ्तार (डिटेन) किया गया हो या आप पालक की देखरेख में हों:
जब जज आपसे कहता है कि आप घर चले जाइए, तो आपको घर भेजने का इंतजाम करने में सरकार को एक या दो महीने, या कभी-कभी इससे भी ज्यादा समय लग सकता है। सबसे पहले, यू.एस. सरकार आपके देश के दूतावास से किसी से आपकी बात कराने के लिए इंतजाम करेगी ताकि आप अपने देश लौटने की अनुमति प्राप्त कर सकें। अपने दूतावास से आपकी बातचीत हो जाने के बाद यू.एस. सरकार को आपकी यात्रा के लिए इंतजाम करना होगा, जिसके लिए कुछ सप्ताह लग सकते हैं।

यदि आपको अपने परिवार के सदस्यों के पास छोड़ा गया हो:
यह इस पर निर्भर करेगा कि आपको स्वैच्छिक रूप से लौटने को कहा गया हो या आपको हटाने का आदेश दिया गया हो।

- यदि आपको स्वैच्छिक रूप से घर लौटने को कहा गया हो, तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने मूल देश के लिए टिकट खरीदें। आपको अपने देश के दूतावास से पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेज़ भी प्राप्त करने होंगे, और अपना टिकट और पासपोर्ट दोनों ही जज द्वारा तय की गई तिथि से पहले आप्रवास अधिकारी को दिखाने होंगे, ताकि उसे पता चले कि आप सचमुच उस तिथि से पहले युनाइटेड स्टेट्स छोड़ रहे हैं।

- यदि आपको हटाने का आदेश जारी हुआ हो, तो आपको डाक से सरकार की ओर से पत्र मिलेगा जिसमें बताया गया होगा कि आपको अपने देश लौटने के लिए कब और कहां हाज़िर होना है।

याद रखने के लिए महत्वपूर्ण बातें

- आपको वकील रखने का अधिकार है।
- जज आपको वकील नहीं देंगे।
- आपको खुद ही अथवा अपने परिवार की मदद से वकील ढूंढ़ना होगा।
- यदि आप या आपका परिवार वकील का पैसा चुकाने की स्थिति में न हो, तो ऐसे संगठन हैं जो आपकी मुफ्त मदद कर सकते हैं।
- जिस समय आप हिरासत में होंगे, NIJC आपका प्रतिनिधित्व कर सकता है। यदि आपको हिरासतसे छोड़ दिया जाए पर आप शिकागो क्षेत्र में ही रह रहे हों, तो NIJC आपका प्रतिनिधित्व करता रह सकेगा।
- यह बहुत जरूरी है कि आप अपने वकील को सच्ची बातें बताएं। आपके मामले की सब बातों की जानकारी हुए बिना, आपका वकील आपको उलब्ध सभी विकल्पों की चर्चा और मूल्यांकन नहीं कर पाएगा।
- आप अपने वकील को जो बातें बताएंगे, वे गोपनीय होती हैं, यानी वे निजी हैं। वह उन्हें आपकी अनुमति के बिना किसी के साथ भी साझा नहीं कर सकता है।
- आपको हर नियत तारीख को अदालत जाना होगा। यदि आप न जाएं, तो जज आपके हटाए जाने (निष्कासित किए जाने) का आदेश जारी कर देगा।
- यदि आपको जज युनाइटेड स्टेट्स छोड़ने के लिए कोई अंतिम तारीख बताए, तो आपको उस तारीख को या उससे पहले जाना होगा।
- यदि यू.एस. सरकार आपके 18 वर्ष के हो जाने के बाद आपको गिरफ्तार करे, तो आपको वयस्कों के डिटेंशन केंद्र में अथवा जेल में रखा जा सकता है।
- हर बार जब आप जगह बदलें, आपको सरकार और अदालत को बताना होगा।

आप्रवास अधिकारी जो भी दस्तावेज आपको दें, उन पर तब तक हस्ताक्षर न करें जब तक आपका वकील उन्हें पढ़ ले और वह आपको उनका मतलब न समझा दे!

अपने इमिग्रेशन केस को दूसरी अदालत में कैसे ले जाएं।

जब भी आप ऐसा करें तब दो फॉर्मों को भरना ज़रूरी है: एक स्थान परिवर्तन फॉर्म और एक पता परिवर्तन फॉर्म। अगर आप इन फॉर्मों को नहीं भरते, तो आप अदालत में अपनी तारीख पर पहुंचना चूक सकते हैं और जज आपको वापस भेजने का आदेश दे देंगे।

अदालत से आपकी पेशी ऐसी अदालत में भेजने का आग्रह करना जो आपके नये घर के निकट होः स्थान परिवर्तन फॉर्म

स्थान परिवर्तन फॉर्म आपके सूचना पैकेट में शामिल होता है।

1) पेज के शीर्ष पर दो खाली लाइनों में उस अदालत का पता लिखें जहां आप वर्तमान में उपस्थित हुए। इस पते को "अदालत/डीएचएस ओसीसी पते की सूची" से प्राप्त करें जो आपके सूचना पैकेट में शामिल है।
2) सबसे ऊपर की लाइन पर अपना नाम लिखें, "प्रतिवादी।"
3) अक्षर "A" वाली लाइन में अपनी A संख्या लिखें।
4) पेज के बीच में खाली लाइनों में अपना नया पता और फोन नंबर लिखें।
5) पेज के नीचे की दो लाइनों में उस शहर की डीएचएस/ओसीसी का पता लिखें जहां वर्तमान में आपकी अदालती सुनवाई होती है। यह पता आपको आपके सूचना पैकेट में "अदालत/डीएचएस ओसीसी पते की सूची" में मिलेगा।
6) "तिथि" वाली लाइन में तारीख डालें और अगली "हस्ताक्षरित" लाइन में अपने नाम का हस्ताक्षर करें।
7) दो (2) प्रतियां बनाएं।

इमिग्रेशन को आपके नये पते के बारे में सूचित करना ताकि आप अपने अदालत की सुनवाई की तिथि प्राप्त कर सकें: पता बदलने का फॉर्म (E-33)

पता बदलने का फॉर्म आपके सूचना पैकेट में शामिल है। फॉर्म आप्रवासन अदालत और http://www.justice.gov/eoir/eoirforms/eoir33/ICadr33.htm. पर भी प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म पर शहर के बगल वाली जगह पर क्लिक करें जहां वर्तमान में आप अदालत में उपस्थित हुए, और इसका प्रिंट निकाल लें।

1) "नाम" वाली लाइन पर अपना नाम लिखें।
2) अक्षर "A" वाली लाइन पर अपनी A संख्या लिखें।
3) "पुराना पता" वाले बॉक्स में अपना पुराना पता लिखें।
4) "नया पता" वाले बॉक्स में अपना नया पता लिखें।
5) "हस्ताक्षरित" लाइन में अपने नाम का हस्ताक्षर करें और "तिथि" वाली लाइन में तारीख डालें।
6) "तामील करने का सबूत" (प्रूफ ऑफ सर्विस) के नीचे, "नाम" वाली लाइन के ऊपर अपना नाम और "तिथि" लाइन के ऊपर तिथि लिखें। "संख्या और सड़क" लाइन के ऊपर, उस शहर में DHS/OCC का पता लिखें जहां की अदालत में आप वर्तमान में उपस्थित हुए। यह पता आपको आपके सूचना पैकेट में "अदालत/डीएचएस ओसीसी पते की सूची" में मिलेगा।
7) सबसे नीचे की लाइन पर "X" के आगे अपने नाम का हस्ताक्षर करें।
8) दो (2) प्रतियां बनाएं।

*__स्थान परिवर्तन फॉर्म की मूल प्रति को पता बदलने के फॉर्म की मूल प्रति के साथ रखकर अदालत को डाक से भेज दें__ जिसका पता स्थल बदलने के प्रपत्र के शीर्ष पर दिया गया है।

* **स्थान परिवर्तन फॉर्म की एक प्रति को पता बदलने के फॉर्म की एक प्रति के साथ डीएचएस को डाक से भेज दें** जिसका पता स्थान परिवर्तन फॉर्म के नीचे दी गई सूची में है। अपने रिकॉर्ड के लिए दोनों प्रपत्रों की एक-एक प्रति अपने पास रखें।

* यह सुझाया जाता है कि आप दोनों प्रपत्र प्रमाणित डाक द्वारा वापसी का टिकट लगाकर भेजें।

अपनी अगली सुनवाई की तिथि, समय और स्थान के बारे में जानकारी के लिए अदालत को **1-800-898-7180** पर फोन करना न भूलें।

PRO SE

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE
EXECUTIVE OFFICE FOR IMMIGRATION REVIEW
IMMIGRATION COURT

____

____

In the Matter of:	)	
____________________________	)	____________________________________
Respondent (Your name)	)	**File No. A (Your A Number)**
In removal proceedings	)	

MOTION FOR CHANGE OF VENUE

The Respondent will be residing at:

____

____

____
(Your Address)

Phone: ________________________________
(Your Phone Number)

The Respondent respectfully requests that his or her case be transferred to the Immigration Court with jurisdiction over the above address.

Signed: ________________________
Respondent (Your signature)

CERTIFICATE OF SERVICE

I do hereby certify that a copy of the foregoing motion was served by mail or delivery on:

Department of Homeland Security
Office of the Chief Counsel
____
____

Date: ___________________
(month/day/year)

Signed: ______________________
Respondent (Your signature)

किफायती और मुफ्त आप्रवासकानूनी सेवा प्रदाता

नोट: यह खंड इमिग्रेशन अदालत द्वारा तैयार किया गया है। कृपया अपनी नई इमिग्रेशन अदालत के आधार पर कानूनी सेवा प्रदाताओं की नई सूची प्राप्त करें।

NATIONWIDE

National Center for Refugee
and Immigrant Children
US Committee for Refugees
and Immigrants (USCRI)
2231 Crystal Dr., Ste. 350
Arlington, VA 22202
(703) 310-1130

ARLINGTON, VIRGINIA, BALTIMORE, MARYLAND AND WASHINGTON D.C.

Alien Rights Law Project
Washington Lawyers Committee
for Civil Rights and Urban Affairs
11 Dupont Circle, Ste. 400
Washington, DC 20036
(202) 319-1000

AYUDA
1707 Kalorama Road, NW
Washington, DC 20009
(202) 387-4848

Capital Area Immigrants'
Rights (CAIR) Coalition
1612 K Street, NW, Ste. 204
Washington, DC 20006
(202) 331-3320

Catholic Charities
Immigration Legal Services
924 G Street, NW
Washington, DC 20001
(202) 772-4352

Catholic Immigration Services
1720 Eye Street, NW, Ste. 607
Washington, DC 20006
(202) 466-6611 or (202) 466-6612

Catholic Charities
Immigration Legal Services
Archdiocese of Baltimore
430 S. Broadway
Baltimore, MD 21231-2409
(410) 534-8015

Central American
Resource Center (CARECEN)
1459 Columbia Road, NW
Washington, DC 20009
(202) 328-9799

George Washington
University Immigration Clinic
2000 G Street, NW, Ste. B-04
Washington, DC 20052
(202) 994-7463

Human Rights First
100 Maryland Avenue, NE, Ste. 500
Washington, DC 20002
(202) 547-5692 x3213

Kids in Need
of Defense (KIND), Inc.
1331 G Street NW
Suite 900
Washington, DC 20005
202-824-8680

Kids in Need of Defense (KIND)
Baltimore Office
c/o Venable LLP
750 E. Pratt Street Suite 900
Baltimore, MD 21202
Phone: (410) 209-2196

Maryland Immigrant
Rights Coalition (MIRC)
c/o 500 W. Baltimore St., Suite 360
Baltimore, MD 21201
(410) 706-2067

Tahirih Justice Center
6402 Arlington Blvd, Suite 300
Falls Church, VA 22042
Phone: 571-282-6161

University of Maryland
Immigration Clinic
University of Maryland
School of Law
500 W. Baltimore Street
Baltimore, MD 21201

ATLANTA, GEORGIA

Catholic Social Services, INC.
680 West Peachtree Street, NW
Atlanta, GA 30308-1984
(404) 881-6571

North Carolina Justice and
Community Development
Center Immigrants Legal
Assistance Project
224 S. Dawson Street
Raleigh, NC 27611
1-888-251-2776

BLOOMINGTON, MINNESOTA

The Advocates for Human Rights
650 3rd Avenue South, Ste. 550
Minneapolis, MN 55402-1940
(612) 341-3302

Civil Society
332 Minnesota Street, Ste. E-1436
St. Paul, MN 55101
(651) 291-0713

Oficina Legal - Immigrant
Law Center of Minnesota
450 North Syndicate, Ste. 175
St. Paul, MN 55104
(651) 641-1011

BOSTON, MASSACHUSETTS

Catholic Charities Refugee
and Immigration Services
275 West Broadway
South Boston, MA 02127
(617) 464-8100

Catholic Legal Immigrant Network
Boston College Immigration
& Asylum Project
885 Centre Street
Newton, MA 02159
(617) 552-0593

Community Legal Services
Counseling Center
One West Street
Cambridge, MA 02139
(617) 661-1010

Greater Boston Legal Services
197 Friend Street
Boston, MA 02114
(617) 371-1234

Immigrant Legal Advocacy
Project (ILAP)
309 Cumberland Ave., Ste 201
P.O. Box 171917
Portland, ME 04112
(207) 780-1593

International Institute
of Rhode Island
645 Elmwood Avenue
Providence, RI 02907
(401) 461-5940

Kids in Need of Defense (KIND)
Boston Office
c/o Chin & Curtis, LLP
75 Federal Street
Boston, MA 02110-1932
(202) 286-1843

Legal Assistance Corporation
of Central Massachusetts
405 Main Street, 4th Floor
Worcester, MA 01608
Tel: (508) 752-3718

Neighborhood Legal Services
37 Friend St., Suite 300
Lynn, MA 01902
(781) 599-7730

Political Asylum/Immigration
Representation Project (PAIR)
254 Friend Street, 5th Floor
Boston, MA 02114
(617) 742-9296

University of Massachusetts
School of Law - Dartmouth
Immigration Law Clinic
333 Faunce Corner Road
North Dartmouth, MA 02747
Telephone (508) 985-1174

BUFFALO, NEW YORK

Erie County Bar Association
Volunteer Lawyers Project
700 Statler Towers
Buffalo, NY 14202
(716) 847-0752

International Institute of Buffalo
864 Delaware Avenue
Buffalo, NY 14209
(716) 883-1900

Legal Aid Society of Rochester, INC.
One West Main Street, Rm. 800
Rochester, NY 14614
(585) 295-5745

CHARLOTTE, NORTH CAROLINA

Pisgah Legal Services
689 Blythe St.
Hendersonville, NC 28739
828-253-0406 / 800-489-6144

North Carolina Justice and
Community Development Center
Immigrants Legal
Assistance Project
224 S. Dawson Street
Raleigh, NC 27611
1-888-251-2776

CHICAGO, ILLINOIS

Legal Assistance Foundation
of Metropolitan Chicago
Legal Services Center
for Immigrants
111 West Jackson Blvd., 3rd Floor
Chicago, IL 60604
(312) 341-9617

National Immigrant Justice Center
208 S. LaSalle St., Suite 1818
Chicago, IL 60604
(312) 660-1370

World Relief - Chicago
3507 West Lawrence Ave., Ste. 208
Chicago, IL 60625
(773) 583-3010

CINCINNATI, OHIO

Community Refugee
& Immigration Services
3624 Bexvie Avenue
Columbus, OH 43227
(614) 235-5747

International Services Center
1859 Prospect Avenue
Cleveland, OH 44115
(216) 781-4560

The Legal Aid Society of Cleveland
1223 West Sixth Street
Cleveland, OH 44113
(888) 817-3777

DALLAS, TEXAS

Baptist Immigration Center
507 Titus Street
Mckinney, TX
(972) 562-4561

Catholic Charities
5415 Maple Ave, Ste. 400
Dallas, TX 75235
(214) 634-7182

Human Rights Initiative
of North Texas, INC.
2501 Oak Lawn Ave., Ste. 850
Dallas, TX 75219
(214) 855-0520

Project Immigrant
Legal Assistance (PILA)
132 East Main Street
Grand Prairie, TX 75050
(972) 266-8300

DENVER, COLORADO

Catholic Immigration Services
Catholic Charities
4045 Pecos Street
Denver, CO 80211
(303) 742-4971

Immigration West, INC.
312 N. Ewing St., 2nd Floor
Helena, Montana 59601
(406) 594-2004

Rocky Mountain Immigrant
Advocacy Network
3489 W. 72nd Ave Suite 211
Westminster, CO 80030
(303) 866-9308

DETROIT, MICHIGAN

A.C.C.E.S.S.
Arab Community Center for Economic
and Social Services
6451 Schaefer
Dearborn, MI 48126
(313) 945-8380

Freedom House
2630 W. Lafayette
Detroit, MI 48126
(313) 964-4320

International Institute
of Metropolitan Detroit
111 East Kirby
Detroit, MI 48202
(313) 871-8600

Strategic Partnership of Michigan
28444 Franklin Road, Room B-100
Southfield, MI 48034
(313) 530-4202

University of Detroit
Mercy School of Law
Immigration Law Clinic
651 E. Jefferson
Detroit, MI 48226
(313) 596-0200

EL PASO, TEXAS

Catholic Charities
123 Avenue N
Lubbock, TX 79401
(806) 765-8475

Diocesan Migrant and
Refugee Services
2400 E. Yandell, Ste. A
El Paso, TX 79903-3617
(915) 532-3975

Las Americas Immigrant
Advocacy Center
1500 East Yandell Drive
El Paso, TX 79902-5630
(915) 544-5126

United Neighborhood
Organization (UNO)
747 E San Antonio Ave # 100
El Paso, TX 79901-2557
(915) 351-0099

NEWARK, NEW JERSEY

American Friends Service
Committee Immigrants
Rights Program
89 Market Street, 6th Floor
Newark, NJ 07102
(973) 643-1924

Camden Center for Law
and Social Justice, INC.
Immigration Service Office
126 N. Broadway, 2nd Floor
Camden, NJ 08103
856-853-2950

Catholic Family
& Community Services
24 DeGrasse Street
Paterson, NJ 07505
(973) 279-7100

El Centro Hispano Americano
(Formerly The Center for
Central American Refugees)
525 East Front Street
Plainfield, NJ 07060
(908) 753-8730

The Hebrew Immigrant Aid Society
333 Seventh Avenue
New York, NY 10001-5004
(212) 613-1420

Human Rights First
333 7th Avenue, 13th Floor
New York, NY 10001
(212) 845-5200

International Institute
1 Journal Square, 4th floor
Jersey City, NJ 07306
(201) 653-3888

Kids in Need of Defense (KIND)
c/o Lowenstein Sandler PC
65 Livingston Avenue
Roseland, NJ 07068
(862) 926-2080

Legal Services of New Jersey
100 Metroplex Drive
Plainfield Avenue
Edison, NJ 08818
(732) 572-9100

FLORENCE, ARIZONA

Florence Immigrant and
Refugee Rights Project
2601 North Highway 79
P.O. Box 654
Florence, AZ 85232
(520) 868-0191

HARLINGEN, TEXAS

Casa de Proyecto Libertad
113 N. 1st St.
Harlingen, TX 78550
(956) 425-9552

South Texas Pro Bono Asylum
Representation Project (ProBAR)
119 W. Van Buren, Ste. 204 Harlingen,
TX 78550
(956) 365-3775

South Texas Immigration
Council, INC.
Casa Mexico Bldg.
4793 West Expressway 83
Harlingen, TX 78552
(956) 425-6987

Texas Rural Legal Aid, INC.
316 South Closner St.
Edinburg, TX 78539
(956) 968-9574

Na Loio
Immigrant Rights and
Public Interest Legal Center
810 North Vineyard Blvd., Ste. 3
Honolulu, HI 96817
(808) 847-8828

Legal Aid of Western Missouri
920 Southwest Blvd.
Kansas City, MO 64108
(816) 474-9868

HARTFORD, CONNECTICUT

International Institute
of Connecticut (Main Office)
670 Clinton Avenue
Bridgeport, CT 06605
1-888-342-2678

Iris Integrated Refugee
and Immigrant Services
235 Nicoll St., 2nd Floor
New Haven, CT 06511
(203) 562-2095

Jerome N. Frank Legal
Services Organization
P.O. Box 209090
New Haven, CT 06520-9090
Courier Address:
127 Wall Street,
New Haven, CT 06511
(203) 432-4800

New Haven Legal Assistance
Association, INC.
426 State Street
New Haven, CT 06510
(203) 946-4811

HONOLULU, HAWAII

Volunteer Legal Services, Hawaii545
Queen Street, Ste. 100
Honolulu, HI 96813
(808) 528-7046 for Oahu

Hawaii Immigrant Justice Center
at the Legal Aid Society of Hawaii
P.O. Box 3950
Honolulu, HI 96812-3950
(808) 536-8826

University of Hawaii School
of Law Immigration Law Clinic
William S. Richardson
School of Law
2515 Dole Street
Honolulu, HI 96822
808-956-2438

HOUSTON, TEXAS

Catholic Charities Texas Center
for Immigrant Legal Assistance
2900 Louisiana Avenue
Houston, TX 77006
(713) 874-6570

Catholic Charities of the Diocese
of Galveston-Houston
2900 Louisiana St.
Houston, TX 77266
(713) 874-6549

Carecen Central American
Refugee Center
6006 Bellaire Boulevard, Ste. 100
Houston, TX 77081
(713) 665-1284

International Services of
the YMCA Greater Houston Area
Pro Bono Asylum Program
6300 West Park, Ste. 600
Houston, TX 77057
(713) 339-9015

Kids in Need of Defense (KIND)
c/o Houston Volunteer
Lawyers Program, Inc.
712 Main St., Ste. 2700
Houston, TX 77002
(713) 228-0735 x102

KANSAS CITY, MISSOURI

Catholic Immigration Law Project
321 North Spring Ave.
St. Louis, MO 63108
(314) 977-7282

Interfaith Legal Services
for Immigrants
4232 Forest Park Avenue
St. Louis, MO 63108
(314) 371-4640

LAS VEGAS, NEVADA

Catholic Charities of
Southern Nevada
Immigration Department
1511 N. Las Vegas Blvd.
Las Vegas, NV 89101
(702) 383-8387

Nevada Hispanic Services
3905 Neil Road
Reno, NV 89502
(775) 826-1818

LOS ANGELES, CALIFORNIA

Catholic Charities
of Los Angeles
Esperanza Immigrant
Rights Project
1530 James M. Wood Blvd.
Los Angeles, CA 90015
(213) 251-3505

International Institute
of Los Angeles
435 So. Boyle Ave.
Los Angeles, CA 90033
(323) 264-6217

Public Counsel
601 S. Ardmore Ave.
Los Angeles, CA 90005
(213) 385-2977

El Rescate Legal Services
1313 West 8th St., Ste. 200
Los Angeles, CA 90017
(213) 387-3284

MEMPHIS, TENNESSEE

Community Legal Center
910 Vance Avenue
Memphis, TN 38126
(901) 543-3395

MIAMI, FLORIDA

American Friends
Service Committee
111 N.E. 1st Street, 3rd Floor
Miami, FL 33132
305.600.5441

Catholic Charities Legal Services
Archdiocese of Miami, INC.
15305 W. Adams Ave.
Indiantown, FL 34956
(772) 597-2812

Church World Service
Immigration and Refugee Program
1924 NW 84th Ave.
Miami, FL 33126
(305) 774-6770

Columbian American Service
Association (CASA)
10300 SW 72 Street, Suite 387
Miami, Florida 33173
305-463-7468 Ext. 101

Columbian American National
Coalition, INC. (CANCO)
809 SW 8th St. Suite 212
Miami, FL 33130-3748
(786) 346-3828

Florida Equal Justice Center, INC.
3210 Cleveland Avenue, Ste. 101-A
Ft. Meyers, FL 33901
(239) 277-7060

Florida Immigrant Advocacy
Center, INC. (FIAC)
3000 Biscayne Blvd., Ste. 400
Miami, FL 33137
(305) 573-1106

NEW ORLEANS, LOUISIANA

Associated Catholic Charities
1000 Howard Avenue-6th Floor
New Orleans, LA 70113
(504) 310-8765

Loyola University Law Clinic
7214 St. Charles Avenue
New Orleans, LA 70118
(504) 861-5590

NEW YORK, NEW YORK

Catholic Charities
Community Services,
Archdiocese of New York (CCCS)
1011 First Avenue
New York, NY 10022
(212) 419-3700

Central American
Legal Assistance
240 Hooper Street
Brooklyn, NY 11211
(718) 486-6800

City Bar Justice Center
42 West 44th Street
New York, NY 10036
(212) 382-6710

Comite Nuestra Senora
de Loreto Sobre Asuntos
de Inmigración Hispana
41 Adelphi Street
Brooklyn, NY 11205
(718) 625-5115

The Door A Center of
Alternatives, INC.
121 Avenue of the Americas
New York, New York 10013
(212) 941-9090

Hebrew Immigrant
Aid Society (HIAS)
333 Seventh Avenue
New York, NY 10001
212-967-4100

The Legal Aid Society -
Immigration Law Unit
199 Water Street
New York, NY 10038
(212) 577-3300

Nassau County
Hispanic Foundation, INC.
Immigration Law Service
233 Seventh Street, 3rd Floor
Garden City, NY 11530
(516) 742-0067

Safe Horizon
(Victim Services/Travelers Aid)
Immigration Legal Services
74-09 37th Avenue, Room 308
Jackson Heights, NY 11372
(718) 899-1233

Sanctuary for Families
P.O. Box 1406
Wall Street Station
New York, NY 10268
(212) 349-6009

OMAHA, NEBRASKA

University of Nebraska
College of Law
Lincoln, NE 68583
(402) 472-3271

ORLANDO, FLORIDA

Church World Service
Immigration and Refugee Program
1921 NW 84th Ave.
Miami, FL 33126
(305) 774-6770

Florida Coastal School of Law
8787 Baypine Road, Suite 255
Jacksonville, FL 32256
(904) 680-7782

Gulf Coast Legal Services, INC.
641 First Street South
St. Petersburg, FL 33701
(727) 821-0726

Immigrants Rights Center
1468 S. Semoran Blvd.
Orlando, FL 32807
(407) 382-4944

Legal Aid Society of
the Orange County Bar
Association, INC.
100 East Robinson Street
Orlando, FL 32801
(407) 841-8310

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA

Camden Center for Law
and Social Justice, INC.
Immigration Services
and Domestic Violence
/ Family Law Units
126 N. Broadway, 2nd Floor
Camden, NJ 08103
(856)-583-2950

Catholic Social Services
Archdiocese of Philadelphia
227 N. 18th Street
Philadelphia, PA 19103
(215) 854-7019

HIAS and Council -
Migration Services
2100 Arch Street, 3rd floor
Philadelphia, PA 19103
(215) 832-0900

Jewish Family and Children's
Service of Pittsburgh
5743 Bartlett Street
Pittsburgh, PA 15217
(412) 422-7200

Nationalities Service
Center - Migration Services
1216 Arch St., 4th Floor
Philadelphia, PA 19107
(215) 893-8400

PHOENIX, ARIZONA

Catholic Social Services
of Phoenix
1825 W. Northern Street
Phoenix, AZ 85021
(602) 997-6105

Chicanos Por La Causa
312 W. Main Street
P.O. Box 517
Somerton, AZ 85350
(928) 627-2042

Florence Immigrant
& Refugee Rights Project
2601 N Hwy 79
P.O. Box 654
Florence, AZ85323
(520) 868-0192

Friendly House
802 S. 1st Avenue
P.O. Box 3695
Phoenix, AZ 85030
(602) 257-1870

Lutheran Social Services
of the Southwest
5049 E. Broadway Blvd. Suite 102,
Tucson, Arizona 85711 Tel:
520.748.2300

PORTLAND, OREGON

Catholic Charities
Immigration Services
901 S.E. Oak Street, Ste. 105
Portland, OR 97214-9813
(503) 542-2855

Immigration Counseling Service
519 S.W. Park Ave, Ste. 610
Portland, OR 97205
(503) 221-1689

Immigration West, INC.
312 N. Ewing St., 2nd Floor
Helena, Montana 59601
(406) 594-2004

Lane County Legal Aid
and Advocacy Center
East 11th Avenue
Eugene, OR 97401-3246
(541) 485-1017

Lutheran Community
Services Northwest
605 S.E. 39th Avenue
Portland, OR 97214
(503) 731-9580

SAN ANTONIO, TEXAS

American Gateways
One Highland Center
314 Highland Mall Blvd., Ste. 501
Austin, TX 78752
(512) 478-0546

Catholic Charities Archdiocese
of San Antonio, INC.
2903 West Salinas
San Antonio, TX 78207
(210) 433-3256

Immigration & Human Rights Clinic,
Center for Legal & Social Justice
2507 NW 36th Street
San Antonio, TX 78228
(210) 431-2596

Refugee and Immigrant Center
for Education and Legal Services
1305 N. Flores
San Antonio, TX 78212
(210) 226-7722

Texas Rio Grande Legal Aid, INC.
1111 N. Main Ave.
San Antonio, TX 78212
(210) 212-3700

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA

Asian Law Caucus
55 Columbus Ave.
San Francisco, CA 94111
(415) 896-1701

Asian Pacific Island Legal Outreach
1188 Franklin Street, Ste. 202
San Francisco, CA 94109
(415) 567-6255

Catholic Charities
Immigration Program
2625 Zanker Road, Ste. 201
San Jose, CA 95134
(408) 944-0691

Central American
Resource Center
(CARACEN)
1245 Alabama St.
San Francisco, CA 94110
(415) 824-2330

Legal Services for Children
1254 Market St., 3rd Floor
San Francisco, CA 94102
(415) 863-3762

La Raza Centro Legal
474 Valencia St., Ste. 295
San Francisco, CA 94103
(415) 575-3500

Asylum Program of the
San Francisco Lawyers
Committee for Civil Rights
131 Steuart Street, Ste. 400
San Francisco, CA 94105
(415) 543-9444

SEATTLE AND TACOMA, WASHINGTON

Volunteer Advocates for
Immigrant Justice (VAIJ)
1201 3rd Avenue, Ste. 4800
Seattle, WA 98101
(206) 359-6200

Northwest Immigrant
Rights Project
- Seattle Office
615 Second Ave., Ste. 400
Seattle, WA 98104
(206) 587-4009

Northwest Immigrant
Rights Project
- Granger Office
121 Sunnyside Avenue
P.O. Box 270
Granger, WA 98932
(509) 854-2100